प्रेस.विज्ञप्ति **दिनांक 08.09.2026**

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

महापौर परिषद की बैठक में शहर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरूचि सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकासए निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार.विमर्श किया गया। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नग हापर टिप्पर क्रय किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। महापौर परिषद ने पुनः निविदा करने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिए हैं। जोन क्रमांक.03 अंतर्गत संतोषी पारा स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को संचालन, प्रबंधन एवं संधारण के लिए 10 माह की अवधि हेतु किराये पर दिए जाने संबंधी नियम एवं शर्तों का अनुमोदन और निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई।

निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खुले मैदान, फुटपाथ, चौराहे एवं अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों पर पंडाल अथवा अस्थायी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से निर्देश प्राप्त है। शासन के आदेशानुसार बड़े पंडालों पर अनुमति शुल्क, स्वच्छता शुल्क निधि एवं अतिरिक्त सुरक्षा निधि शुल्क निर्धारित है शुल्क लिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। 5000 वर्ग फीट तक के पंडालो के लिए छूट दी गई है किंतु व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने पर छोटे पंडालो से भी शुल्क लिया जाएगा। 5000 वर्ग फीट से ऊपर सभी पंडालो पर अनुमति शुल्क की राशि 3.50 रुपए प्रति वर्ग फीट के अनुसार ली जाएगी, जिसकी गणना पंडाल क्षेत्रफल 0 से लेकर ऊपर तक की होगी । सफाई शुल्क के रूप में 2000 रूपये ली जाएगी। सुरक्षा निधि लिया जाएगा जो रिफंडेबल योग्य होगा । पंडाल से रोड ट्रैफिक एवं आवागमन बाधित न हो इसका ध्यान रखने निर्णय लिया गया है।

निगम द्वारा चंद्रा.मौर्या के सामने निर्माणाधीन हाईजिनिक फूड जोन के संचालन, अनुरक्षण एवं राजस्व साझेदारी के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य फूड जोन का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के साथ व्यवस्थित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में राजस्व अधिकारी की सेवावृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। स्वर्गीय वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नाम

से चंद्रा मौर्या टॉकीज अंडरब्रिज के नामकरण किए जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सामान्य सभा को प्रस्ताव भेजा गया है।

नेहरू नगर क्षेत्र में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से नेहरू नगर अंडरब्रिज तक रेलवे लाइन के समानांतर सड़क निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य कराया जाएगा। यह कार्य लगभग 314.15 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण एवं विद्युतीकरण से क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा निगम की संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026.27 हेतु सुरक्षा गार्ड की निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार करते हुए संबंधित एजेंसी को अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

महापौर की बैठक में लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, आदित्य सिंह, संदीप निरंकारी, एकांश बंछोर, लाल चंद वर्मा, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, चंद्रशेखर गंवई, नेहा साहू, अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, उपायुक्त सह जोन आयुक्त डी के कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे कुलदीप गुप्ता, अमरनाथ दुबे, कार्यापालन अभियंता अनिल सिंह, अरविन्द शर्मा, नितेश मेश्राम, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, राजस्व अधिकारी जे, पी, तिवारी स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अशोक देवांगन, विनय शर्मा उपस्थित रहे।

संलग्न.फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी